भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2234
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में सक्षम आंगनवाड़ी

2234. **श्री संतोष पांडेयः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सक्षम आंगनवाड़ी योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा जुलाई, 2026 तक छत्तीसगढ़ में उन्नत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) सामान्य आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए किन प्रमुख मानदंडों तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए जिला-वार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या सरकार को उन्नयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रशासनिक अथवा अवसंरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो उनके समाधान के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों तथा सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14–18 वर्ष); के लिए पोषण सहायता और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा [3–6 वर्ष]; तथा आधुनिक एवं उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान तथा किशोरियों के लिए योजना सहित आंगनवाड़ी

अवसंरचना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज अर्थात पूरक पोषण (एसएनपी), विधालय-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। छह सेवाओं में से तीन सेवाएँ अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये सेवाएँ देशभर में पात्र पंजीकृत लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा राज्यों के सभी आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को प्रदान की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में लाभार्थियों, पूरक पोषण और अन्य मापदंडों के बारे में ज़िलेवार जानकारी 'पोषण ट्रैकर' पब्लिक डैशबोर्ड के लिंक https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, बेहतर पोषण प्रदायगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एड़ब्ल्यूसी) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड(बाला) पेंटिंग जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11,490 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन के लिए स्वीकृति दी गई है तथा इसके लिए ₹2,067.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'छत्तीसगढ़ में सक्षम आंगनवाड़ी' के संबंध में 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2234 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य में ज़िलेवार स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों (एड़ब्ल्यूसी) की संख्या

क्रम सं	जिले का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1.	बस्तर	600	14	0
2.	बीजापुर	200	0	0
3.	दंतेवाड़ा	300	11	0
4.	कांकेर	600	84	0
5.	कोंडागांव	500	23	0
6.	कोरबा	700	77	0
7.	महासमुंद	600	629	0
8.	नारायणपुर	100	3	0
9.	राजनांदगांव	450	0	0
10.	सुकमा	250	41	0
11.	कोरिया	0	158	50
12.	के.सी.जी	200	0	0
13.	बलरामपुर	0	11	350
14.	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम)	0	4	50
15.	कबीरधाम	0	130	0
16.	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	250	182	0
17.	सूरजपुर	0	214	0
18.	सरगुजा	0	21	250
19.	बालोद	0	0	350
20.	बलौदाबाजार-भाटपारा	0	0	350
21.	बेमेतरा	0	0	250
22.	बिलासपुर	0	0	450
23.	धमतरी	0	0	250
24.	दुर्ग	0	0	250
25.	गरियाबंद	0	138	300
26.	जांजगीर-चांपा	0	0	250
27.	जशपुर	0	0	500
28.	मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर	0	0	150
29.	मुंगेली	0	0	250
30.	रायगढ़	0	0	500
31.	रायपुर	0	0	250
32.	सक्ती	0	0	50
33.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	150
